न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला अजमेर

राजस्व वाद संख्या 3/2021(2021/40)

1. गुलाबचन्द पुत्र स्व0 श्री बंशीलाल जाति हरिजन निवासी कादेडा
2. बदाम देवी पुत्री स्व0 श्री बंशीलाल जाति हरिजन निवासी कादेडा
3. रामकन्या उर्फ कन्या पुत्री स्व0 श्री बंशीलाल जाति हरिजन निवासी कादेडा
4. समस्त वारिसान स्वर्गीय बंशीलाल पुत्र श्री मांगू जाति हरिजन निवासी कादेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——वादीगण

♠बनाम♠

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए राज. टिनेन्सी एक्ट.

–:: निर्णय ::–

दिनांक 17.05.2023

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प कादेडा में पेश हुई। वादीगण स्वयं उपस्थित। पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जंगल देवपुरा तहसील केकड़ी में स्थित वादवर्णित आराजी का विवरण निम्न प्रकार है–

आराजी खसरा नम्बर 238 रकबा 10 बीघा
वर्तमान खसरा नम्बर 343 रकबा 16.91 हैक्टर

दिनांक 13.10.1977 को ग्राम मेहरूकलां राजस्व अभियान के तहत वादीगण के पिता स्व0 बंशीलाल पुत्र मांगू हरिजन निवासी कादेडा को आराजी खसरा नम्बर 238 की 10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया जिसका पट्टा मौके पर 10 बीघा का कब्जा संभला कर दिया था, तब से स्व0 बंशीलाल द्वारा उक्त आवंटन आराजी को काश्त करते हुए काबिज रहे जिसका देहान्त दिनांक 17.08.2003 को हो गया एवं जिनके वारिसान निम्न है–

मृतक बंशीलाल पुत्र मांगू हरिजन

श्रीमति सन्तोष देवी	गुलाबचन्द	बदाम देवी	रामकन्या उर्फ कन्या
फोत दि. 24.04.2017	पुत्र	पुत्री	पुत्री

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उक्त वारिसान के अलावा अन्य कोई वारिस नही है। वादीगण अपने पिता के जीवनकाल से उक्त आराजी पर बतौर वारिस काबिज है परन्तु स्व बंशीलाल अनपढ होने से उक्त आराजी की खातेदारी अपने नाम करवाने में असमर्थ रहे जिससे राजस्व अधिकारी ने सहयन से बिना मौका देखे ही कब्जे काश्त की आराजी के आवंटन को रद्द करवाये बिना ही शिवाईचक सरकार में दर्ज कर रखी है जबकि मौके पर वर्ष 1973 से लगातार वादीगण के स्व0 पिता बंशीलाल काबिज रहे व उसके बाद वादीगण का कब्जा काश्त है। वर्तमान में वादीगण ने डोल डालकर हांक चौक करके फसल काश्त हेतु तैयार कर रखा है। स्वर्गीय बंशीलाल द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा केकड़ी से दिनांक 15.05.1982 को कृषि ऋण लिया था जिसका समस्त कृषि ऋण चुकता करने के बाद कोई बाकि बकाया नही होने का प्रमाण पत्र दिनांक 19.05.2018 को वादीगण ने प्राप्त कर रखा है। दि 01.09.2020 को वादीगण ने वादवर्णित आराजी 10 बीघा में मिट्टी की डोल डलवाई उस समय पटवार हल्का ने वादीगण को यह कहते हुए कि आराज़ी सिवायचक सरकार के नाम होने से काश्त करने से मना किया व अन्य लोगो को आवंटन करवाना बताया तब वादीगण को सरकार के विरूद्ध विधिक नोटिस जारी करने से वाद प्रस्तुती का मूल कारण उत्पन्न हुआ व दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा हे। अतः ग्राम देवपुरा तहसील केकड़ी की वाद वर्णित आराजी खसरा नम्बर 238 के खसरा नम्बर 238 में से 10 बीघा आवंटित भूमि की खातेदारी मृतक बंशीलाल के विधिक वारिसान वादीगण के नाम करने एवं वादवर्णित आराजीयात को अन्य दीगर व्यक्ति, विभाग आदि को आवंटन नही करने, वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा या दखलन्दाजी नही करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने कां निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोंटिस तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। पत्रावली में तनकीयात कायम कराकर वादी के साक्ष्य कराये गये ।

तहसीलदार केकड़ी से प्राप्त जवाब सरकार अनुसार वादपत्र में बिन्दु संख्या 1 के कथन राजस्व रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार है। बिन्दु संख्या 2 में उल्लेखित कथन संलग्न आवंटन आदेशानुसार स्वीकार है। बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित कथन वादीगण स्वयं सिद्ध करें। बिन्दु संख्या 4 में उल्लेखित कथन पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार साबिक खसरा नम्बर 238 हाल खसरा नम्बर 343 में 1.62 हैक्टर (10 बीघा) भूमि पर आवंटी बंशीलाल पुत्र मांगीलाल हरिजन के वारिसान का कब्जा काश्त है। शेष कथन वादीगण स्वयं सिद्ध करें। बिन्दु संख्या 5 में उल्लेखित कथन वादीगण स्वयं सिद्ध करें। बिन्दु संख्या 6 से 10 में उल्लेखित कथन कानूनी है।

पत्रावली में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई–

तनकी नम्बर 1 – आया वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में खसरा नम्बर 238/2/1 की 10 बीघा भूमि ग्राम मेंहरूकलां के राजस्व अभियान के तहत दिनांक 13.10.1977 को वादीगण के पिता को आवंटित हुई थी।

तनकी नम्बर 2 – आया वादीगण के पिता की मृत्यु होने के उपरान्त वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाकर इस आशय की डिक्री फरमायी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

तनकी नम्बर 3 – आया वादीगणद्वारा प्रस्तुत किया गया वाद में खसरा नम्बर 238/2/1 वर्तमान खसरा नम्बर 343 रकबा 16.91 हैक्टर में से 10 बीघा को वादीगण के नाम दर्ज कर खातेदार एवं काश्तकार घोषित किया जावे। इस आशय की डिक्री फरमायी जावे।

तनकी नम्बर 4 – अनुतोष ?

उपभयपक्षों की बहस सुनी गई जिसका तनकीवार विवरण निम्न प्रकार है–

तनकी नम्बर 1 – आया वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में खसरा नम्बर 238/2/1 की 10 बीघा भूमि ग्राम मेंहरूकलां के राजस्व अभियान के तहत दिनांक 13.10.1977 को वादीगण के पिता को आवंटित हुई थी।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। इस तनकी को सिद्ध करने हेतु दौराने बहस वादीगण ने बताया कि वादीगण की ओर से प्रदर्श पी–4 राजकीय अनभिधृत भूमि का आवंटन आदेश प्रपत्र 5 दिनांक, प्रदर्श पी–5 आवंटन हेतु आवेदन पत्र, प्रदर्श पी–6सुपुर्दनामा मय पटवारी रिपोर्ट, प्रदर्श पी–7 व पी–8 ग्राम मेहरूकलां आवंटन सूची जिसमें वादीगण के पिता बंशीलाल पुत्र मांगीलाल का नाम क्रम संख्या 23 पर अंकित है तथा खसरा परिवर्तनशील, प्रदर्श पी–9 केकड़ी सहकारी भूमि विकास बैंक लि केकड़ी द्वारा 10 बीघा भूमि पर बंशी पुत्र मांगू के नाम 'बकाया नही प्रमाण–पत्र', प्रदर्श पी–10 केकड़ी सहकारी भूमि विकास बैंक लि केकड़ी का लोन लेजर, प्रदर्श पी–11 जमाबन्दी संवत 2070–73 ग्राम देवपुरा खसरा नम्बर 343 रकबा 16.91 हैक्टर, प्रदर्श पी–12 मिलान क्षेत्रफल आदि दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां पेश की है। आवंटन हेतु आवेदन पत्र जो कि बंशीलाल पुत्र मांगीलाल हरिजन निवासी कादेडा के नाम से किया गया है साथ ही आवंटन आदेश जिसमें बंशीलाल पुत्र मांगीलाल जाति हरिजन के नाम से ग्राम देवपुरा के खसरा नम्बर 238/2/1 में से 10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टमें वादपत्र के बिन्दु संख्या 2 को स्वीकार किया गया है जिसके अनुसार वादीगण के पिता बंशीलाल पुत्र मांगीलाल को राजस्व अभियान मेहरूकलां में खसरा नम्बर 238 में से 10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। उपरोक्त सभी दस्तावेजात एवं तथ्यों से साबित होता है कि दिनांक 13.10.1977 को वादीगण के पिता बंशीलाल पुत्र मांगीलाल जाति हरिजन निवासी कादेडा को उक्त 10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है।वादीगण की ओर से तर्क दिया गया कि आवंटी बंशीलाल अनपढ था, एवं जानकारी के अभाव में आवंटित कृषि भूमि को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही करवा सके, परन्तु आवंटन समय से ही सुपुर्द की गई आराजी पर कब्जा काश्त करते आ रहे है। राजस्व अधिकारियों ने मौके की वस्तुस्थिति कब्जा काश्त को नजरअन्दाज करते हुए आवंटित की गई भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया जो कतई गलत है एवं न्यायोचित नही है एवं इससे आवंटी बंशीलाल व उसके वारिसान वादीगण को राज्य सरकार द्वारा सन् 1977 में भूमि आवंटित की जाकर जो अधिकार दिये गये है उन्हे उन अधिकारों से वंचित किया जाना न्यायोचित नही है

प्रतिवादी द्वारा इस तनकी को अपने पक्ष में साबित करने हेतु कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है एवं पत्र क्रमांक राजस्व/2022/2297 दिनांक 28.12.2022 के द्वारा जवाब सरकार/जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसमें वादवर्णित भूमि एवं भूमि आवंटन के संबंध में वर्णित बिन्दु संख्या 1 व 2 को स्वीकार किया गया है तथा साथ हीसाबिक खसरा नम्बर 238हाल खसरा नम्बर 343 में से रकबा 1.62 हैक्टर (10 बीघा) भूमि पर आवंटी बंशीलाल पुत्र मांगीलाल हरिजन के वारिसान का कब्जा काश्त बताया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (राजस्थान)

उपरोक्त दस्तावेजों, एवं तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के आधार पर तनकी नम्बर 1 वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2 – आया वादीगण के पिता की मृत्यु होने के उपरान्त वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाकर इस आशय की डिक्री फरमायी जावे।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। इस तनकी को सिद्ध करने हेतु दौराने बहस वादीगण ने बताया कि स्व. बंशीलाल की मृत्यु दिनांक 17.08.2003 तथा संतोष देवी की मृत्यु दिनांक 24.07.2017 को हो गई है जिसके समर्थन में बंशीलाल पुत्र गांगु हरिजन तथा संतोष देवी पत्नि बंशीलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियां पत्रावली में प्रस्तुत की है। स्व. बंशीलाल के विधिक वारिसान वादीगण (एक पुत्र तथा दो पुत्रीयां) है, इनके अतिरिक्त अन्य को [illegible] विधिक वारिसान नही है। इसके समर्थन में गवाहों pw–1 से pw–5 क्रमशः गु[illegible]न्द पुत्र स्व. बंशीलाल जाति हरिजन, बदाम देवी पुत्री स्व. बंशीलाल जाति हरिजन, रामकन्या पुत्री स्व. बंशीलाल जाति हरिजन, कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल जाति कंजर, महावीर पुत्र भैरू लाल कुम्हार के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। वर्तमान में उक्त आराजी पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है जो आवंटन समय से पूर्व ही चला आ रहा है। श्रीमान तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है कि साबिक खसरा नम्बर 238 हाल खसरा नम्बर 343 में 1.62 हैक्टर (10 बीघा) भूमि पर आवंटी बंशीलाल पुत्र मांगीलाल हरिजन के वारिसान अर्थात हम वादीगण का कब्जा काश्त है। अतः वादीगण के पिता को आवंटित की गई भूमि जिस पर अनवरत हम वादीगण का ही कब्जा काश्त रहा है को वादीगण के पिता बंशीलाल की मृत्यु हो जाने के कारण वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत है जिस हेतु आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रतिवादी द्वारा इस तनकी को अपने पक्ष में साबित करने हेतु कोंई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है एवं पत्र क्रमांक राजस्व/2022/2297 दिनांक 28.12.2022 के द्वारा जवाब सरकार/जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसमें वादवर्णित भूमि एवं भूमि आवंटन के संबंध में वर्णित [illegible] संख्या 1 व 2 को स्वीकार किया गया है तथा साथ हीसाबिक खसरा नम्बर 238हाल खसरा नम्बर 343 में से रकबा 1.62 हैक्टर (10 बीघा) भूमि पर आवंटी बंशीलाल पुत्र मांगीलाल हरिजन के वारिसान का कब्जा काश्त बताया गया है।

उपरोक्त दस्तावेजों, एवं तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के आधार पर तनकी नम्बर 2 वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नमबर 3 – आया वादीगण द्वारा प्ररतुत किया गया वाद में खसरा नम्बर 238/2/1 वर्तमान खसरा नम्बर 343 रकबा 16.91 हैक्टर में से 10 बीघा को वादीगण के नाम दर्ज कर खातेदार एवं काश्तकार घोषित किया जावे। इस आशय की डिक्री फरमायी जावे।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। इस तनकी को सिद्ध करने हेतु दौराने बहस वादीगण ने बताया कि तनकी नम्बर 1 व तनकी नम्बर 2 को वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया सक्षम रहे है। दोनो ही तनकीयात के समर्थन में वादीगण द्वारा पर्याप्त दस्तावेजात तथा गवाहों के शपथपत्र पेश किये गये है। इसके इसके अतिरिक्त श्रीमान तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वादवर्णित आराजीयात में से 10 बीघा भूमि का स्व बंशीलाल पुत्र मांगीलाल को आवंटन एवं उक्त आवंटित हिस्से पर स्व बंशीलाल पुत्र मांगीलाल के वारिसान का कब्जा काश्त होना जाहिर किया है। आवंटी स्व. बंशीलाल की मृत्यु दिनांक 17.08.2003 तथा पत्नि संतोष देवी की मृत्यु दिनांक 24.07.2017 को हो गई है। स्व. बंशीलाल

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

के विधिक वारिसान वादीगण (एक पुत्र तथा दो पुत्रीया) है, इनके अतिरिक्त अन्य को भी विधिक वारिसान नही है। अतः खसरा नम्बर 238/2/1 वर्तमान खसरा नम्बर 343 में से 10 बीघा को वादीगण के नाम दर्ज कर खातेदार एवं काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रतिवादी द्वारा इस तनकी को अपने पक्ष में साबित करने हेतु कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है एवं पत्र क्रमांक राजस्व/2022/2297 दिनांक 28.12.2022 के द्वारा जवाब सरकार/जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसमें वादवर्णित भूमि एवं भूमि आवंटन के संबंध में वर्णित बिन्दु संख्या 1 व 2 को स्वीकार किया गया है तथा साथ हीसाबिक खसरा नम्बर 238हाल खसरा नम्बर 343 में से रकबा 1.62 हैक्टर (10 बीघा) भूमि पर आवंटी बंशीलाल पुत्र मांगीलाल हरिजन के वारिसान का कब्जा काश्त बताया गया है।

उपरोक्त दस्तावेजों, एवं तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के आधार पर तनकी नम्बर 3 वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

<u>तनकी नम्बर 4</u> – अनुतोष ?

हमने उभयपक्षों की तनकीवार की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध फर्द दस्तावेजात प्रदर्श 1 से 12 एवं तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा/मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। उपरोक्त सभी से जाहिर होता है कि सन् 1977 में बंशीलाल पुत्र मांगीलाल निवासी कादेडा को ग्राम देवपुरा में साबिक खसरा नम्बर 238/2/1 जिसके हाल खसरा नम्बर 343 है में से 10 बीघा अर्थात 1.62 हैक्टर भूमि का आवंटन किया गया था। बंशीलाल की मृत्यु दिनांक 17.08.2003 तथा स्व बंशीलाल की पत्नि संतोष देवी की मृत्यु दिनांक 24.07.2017 को हो गई है। स्व. बंशीलाल के विधिक वारिसान वादीगण है, इनके अतिरिक्त अन्य को भी विधिक वारिसान नही है एवं वर्तमान में भी उक्त आवंटित आराजी पर कब्जा काश्त वादीगण का ही जाहिर होता है। वर्तमान में उक्त आवंटित आराजी को सिवायचक खाते में दर्ज कर दिया गया जो गलत है। लिहाजा वादीगण का वाद प्राइमाफेसाई [illegible]ना पाया जाता है।

अतः वादीगण का दावा स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण को वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम देवपुरा तहसील केकड़ी के खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 238/2/1 जिसके हाल खसरा नम्बर 343 रकबा 16.91 हैक्टर में से रकबा 1.62 हैक्टर का गैर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी द्वारा नियमानुसार निर्णय डिक्री की पालना सुनिश्चित की जावे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखया जाकर आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 एवं महंगाई राहत शिविर केम्प कादेडा में मजमे आम सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और7)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी:— विकास पंचोली (आर.ए.एस)

1. गुलाबचन्द पुत्र स्व0 श्री बंशीलाल जाति हरिजन निवासी कादेडा
2. बदाम देवी पुत्री स्व0 श्री बंशीलाल जाति हरिजन निवासी कादेडा
3. रामकन्या उर्फ कन्या पुत्री स्व0 श्री बंशीलाल जाति हरिजन निवासी कादेडा

समस्त वारिसान स्वर्गीय बंशीलाल पुत्र श्री मांगू जाति हरिजन निवासी कादेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——वादीगण

♠बनाम♠

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

—— प्रतिवादीगण

वाद पत्र:— अंतर्गत धारा 88,188,92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर:—राजस्व वाद 3/2021 (2021/40)
निर्णय दिनांक:—17.05.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकड़ी बहाजिरी श्री वादीगण, पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी हाजिर मुद्दावलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादीगण को वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम देवपुरा तहसील केकड़ी के खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 238/2/1 जिसके हाल खसरा नम्बर 343 रकबा 16.91 हैक्टर में से रकबा 1.62 हैक्टर का गैर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी द्वारा नियमानुसार निर्णय डिक्री की पालना सुनिश्चित की जावे। इस आश्य का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करे।

चीज ....मुबलिक...बाबत्.................................

खर्चा मुकदमे के मय सूद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक...को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.05.2023 को प्रशजारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
दस्तखत
केकड़ी (अजमेर)

मुहर

मुद्दई		रूपया	पैसा	मुदयलाह		रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	....	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	....	0	0
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील	....			महनताना वकील	....		
खर्चा गवाहान.	....			खर्चा गवाहान	....		
फीस कमिश्नर.	....			फीस कमिश्नर	....		
बाबत इजराय हुक्मनामा	....			बाबत इजराय हुक्मनामा	....		
मुतफरिक	....	———	———	मुतफरिक	....	———	———
मीजान		0	0	मीजान		0	0

नोट:— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर) राजस्थान